XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 1518—दो/15 जिला—रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9—7—15	आवेदक की ओर से श्री एस.के.श्रीवास्तव., अभि. उप. । उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया । आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरान्त प्रकरण में अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक : /2015 रेस्टो० 1518-II-15

श्री [illegible]
द्वारा आज दि. 12-6-15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
12-6-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्यामलाल [illegible] कालूराम निवासी ग्राम [illegible] [illegible] द्वारा वारिस देवेन्द्र, [illegible] — आवेदक

श्यामलाल [illegible] ग्राम [illegible] [illegible]

विरुद्ध

[illegible] — अनावेदक

—अनावेदक

म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक 1546/09 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 28/4/15 को नियत था।

2 यह कि, नियत दिनांक 28.4.15 को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को 28.4.15 को उपस्थित नही हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।

3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक 1446/09 पुर्न स्थापित कर गुणा–गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

दिनांक 12-6-15

स्थान–ग्वालियर

प्रार्थी

देवेन्द्र [illegible] [illegible]